31 9 **केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों तथा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं के मुख्य प्रबंध निदेशकों के विरूद्ध शिकायतें।**

सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों एवं कार्यात्मक निदेशकों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक एवं वित्तीय संस्थाओं के मुख्य प्रबंध निदेशकों एवं कार्यात्मक निदेशकों के विरुद्ध शिकायतों पर चाहे छद्मनामी या अन्य प्रकार के हों, कार्यवाही पद्धति सरकार का ध्यान आकर्षित कर रही हैं। यह देखा गया है कि वर्तमान प्रणाली के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं कार्यात्मक निदेशकों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं के मुख्य प्रबंध निदेशकों एवं कार्यात्मक निदेशकों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों को जांच एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय को भेजा जाता है। कभी–कभी तुच्छ एवं अस्पष्ट शिकायतों को भी वह महत्व दिया जाता है जो संगीन शिकायतों के लिए होता है। अतः सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों एवं कार्यात्मक निदेशकों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक एवं वित्तीय संस्थाओं के मुख्य प्रबंध निदेशकों एवं कार्यात्मक निदेशकों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की सावधानीपूर्वक जांच कर आरोपों की संगीनता, गम्भीरता एवं प्रकृति के अनुरूप उपयुक्त कार्यवाही करना उचित होगा।

2. अतः यह निर्णय लिया गया है कि इस प्रकार के शिकायतों की जांच के लिए मंत्रीमंडल सचिवालय के सचिव (समन्वयन) की अध्यक्षता में एक समूह का गठन किया जाए। इस समूह का संघटन निम्नवत होगा।

(i)	कैबिनेट सचिवालय में सचिव (समन्वय)	: अध्यक्ष
(ii)	सचिव, लोक उद्यम विभाग (डीपीई)	: सदस्य
(iii)	सचिव, केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी)	: सदस्य
(iv)	अपर सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग (डीएफएस)	: सदस्य

3. मंत्रीमंडल सचिवालय या केन्द्रीय सतर्कता आयोग या सार्वजनिक उद्यम विभाग या वित्तीय सेवा विभाग या प्रधान मंत्री कार्यालय में प्राप्त सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों एवं कार्यात्मक निदेशकों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक एवं वित्तीय संस्थाओं के मुख्य प्रबंध निदेशकों एवं कार्यात्मक निदेशकों के विरुद्ध शिकायतों चाहे छद्मनामी या अन्य प्रकार के हों, के संदर्भ में इन्हें मंत्रीमंडल सचिवालय के सचिव (समन्वयन) की अध्यक्षता वाले समूह जांच करेगी। शिकायत प्राप्त होने के पश्चात यह समूह निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाएगीः–

(क) यदि शिकायत में कोई तथ्य नहीं है या तुच्छ प्रकृति की हो तो यह समूह शिकायत को खत्म कर देगा और संबंधित कार्यालय को सूचित करेगा जहां से शिकायत प्राप्त हुई है।

(ख) यदि प्राथमिक जांच से सूचित होता है कि शिकायत में कुछ तथ्य हैं या शिकायत में जांच योग्य आरोप हैं तो समूह निम्नलिखित में से एक या अधिक कार्य कर सकता हैः–

- संबंधित मंत्रालय/विभाग के सचिव की टिप्पणियां ले सकता है।
- संबंधित फाइल(लों) के लिए बुलाना;
- वार्षिक संपत्ति विवरण तथा अन्य रिपोर्ट सहित संबंधित दस्तावेज की मांग कर सकता है।

4. शिकायत पर उचित सूचनाएं प्राप्त करने के पश्चात समूह निम्नलिखित रूप से कार्य को आगे बढ़ा सकता हैः–

- यदि दस्तावेज/टिप्पणियां यह सूचित करता है कि शिकायत में कोई तथ्य नहीं है तो इसे खत्म कर दिया जाएगा।
- यदि जांच के बाद देखा जाता है कि शिकायत में कुछ तथ्य हैं तो समूह द्वारा आवश्यक जांच की प्रकृति पर निर्णय लेना होगा और इस संदर्भ में उचित सिफारिशें देने होगी।
- तत्पश्चात सिफारिशों को अनुशासन प्राधिकारी को उचित कार्रवाई के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।

5. चूंकि समूह केन्द्रीय सतर्कता आयोग को सीवीसी एक्ट या पब्लिक इंटरेस्ट डिसक्लोजर रिजोल्युशन के तहत प्राप्त शिकायतों पर भी कार्यवाही करेगी, अतः केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा अग्रसारित शिकायतों के संदर्भ में समूह द्वारा केन्द्रीय सतर्कता आयोग को नियमित अंतराल पर शिकायतों की जांच/समीक्षा की स्थिति सूचित किया जाएगा।

(डीपीई का. ज्ञा.सं. 15(1)/2010–डीपीई (जीएम), दिनांकः 11 मार्च, 2010)

******